

अनुमति की शर्तें ।

- (i) एक भवन, मुख्यतः के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विवाद नहीं करता है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम या कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत विरस्त की जा सकती है ।

पंकज सिङ्गानी केवल आवासीय प्रोजेक्टार्स

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी + 1

आवासीय

उत्प्रेदन क्रमांक 760 दिनांक 05/11/2020
 प्रोजेक्ट के पंकज सोनी एवं श्रीमती नीलम सोनी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 194 (1) (घ) के तहत आवासीय P.No: 134 व 135 डी सुभाष
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 18285/- धमा
 जारीये रसीद संख्या 9069/1678, 1679
 दिनांक 05/11/2020 को जमा करा दी है ।

दिनांक 9/11/2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

Pankaj Sami

PH. 9610/32666

पंकज सोनी